मुख्यमंत्री का कार्यालय

(जनसंपर्क कोषांग)

बिहार सरकार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-477

01/08/2026

रेरा (Real Estate Regulatory Authority) की कार्यप्रणाली पारदर्शी, सरल और डिजिटल हो, घर खरीदारों के हितों को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता :– मुख्यमंत्री

मुख्य बिंदु :–

- रेरा (**Real Estate Regulatory Authority**) संस्था का उद्देश्य **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने के साथ–साथ घर खरीदारों के हितों की रक्षा करनी है। घर खरीदारों के हित और अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता में होने चाहिए। उनकी शिकायतों एवं मामलों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
- रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर्स/डेवलपर्स के लिए प्रक्रियायें सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो, इससे कारोबार करने में सहूलियत होगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी।

पटना 01 अगस्त 2026 :– मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में **Ease of Doing Business** को बढ़ावा देने के साथ–साथ घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने रेरा की संस्थागत व्यवस्था एवं कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि रेरा की कार्य प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसकी संस्थागत व्यवस्था पूरे देश में सबसे बेहतर है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेरा की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाया जाए। रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त करते हुए प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स को नियमानुसार कार्य करने में सहूलियत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि रेरा की कार्यप्रणाली को राज्य सरकार के डैशबोर्ड एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, ताकि लंबित मामलों, उनके निष्पादन तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू घर खरीदारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा है। घर खरीदारों से जुड़े मामलों एवं शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह नियामक व्यवस्था से घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश एवं कारोबार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, रेरा के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह सहित रेरा के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

****